हुडा की 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं में लाने की सिफारिश

चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने राज्य सरकार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा प्रदान की जा रही 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में लाने की सिफारिश की है। साथ ही, विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा को भी तर्कसंगत बनाने को कहा है। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि 5 जुलाई को हुई 36वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में आयोग द्वारा मई और जून में किए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई। ब्यूरो